19.12.2019

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष आज सुनवाई पर अनुपस्थित। वादी ने यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट बाबत राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने अनुतोष आशय से यह राजस्व वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एंव परीक्षण किया गया। वादी का इस वादपत्र के माध्यम से यह अनुरोध है कि ग्राम धनोप पटवार हल्का क्षैत्र धनोप के साबिक मीन आराजी संख्या 1332 में से वादी के पक्ष में आवंटनशुदा रकबा 05–00 बीघा, जिसके सेटलमेन्ट कार्यवाही पश्चात पडे नवीन नम्बर 3058 की पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर जो रास्ता दर्शाया गया है, वह त्रूटीयुक्त अधिक चौडा दर्शाया जाकर वादी की खातेदारी भूमि की पूर्वी भुजा को दबाते हुए, नक्शे में फिट किया गया है। जिसकी राजस्व नक्शे में दुरूस्तीकरण की जाकर सही तरमीम की जावें।

दुसरी ओर राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकंला का वादपत्र के खण्डन में जवाबदावा प्रस्तुत होकर रिकार्ड पर उपलब्ध है। उस अनुसार वादी ने यह वादपत्र गलत एवं झूंठे तथ्यो पर आधारित प्रस्तुत किया जाना बताया है। साबिक मीन आराजी संख्या 1332 रकबा 05–00 बीघा के हाल आराजी संख्या 3058 रकबा 01–26 है. दर्ज किया गया है, जो कि विधि सम्मत होकर बिल्कुल सही दर्ज किया गया है, एवं उसी अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम की गई है। इस प्रकार विपक्षी

राज्य पक्ष ने वादी के तर्को को सिरे से खारिज करते हुए, वादपत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली से संलग्न राजस्व साबिक नक्शा व चालू राजस्व नक्शे का मिलान करने पर यह प्रतीत होता है कि राजस्व नक्शे में तथाकथित त्रूटी कारित नही हुई है। वादी ने भी दौराने वाद ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही कराया है जिससे वादपत्र में वर्णित कलमों की ताईद हो सके। इस प्रकार वादी ने यह वादपत्र त्रूटीपूर्ण/दोषयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जो कि न्यायालय खारिज किया जाना उचित समझता है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट को अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकंला जिला भीलवाडा